भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2448
उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

मानद विश्वविद्यालय

†2448. श्री जी. एम. सिद्देश्वरः
श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ':
श्रीमती प्रतिमा मण्डलः
प्रो. सौगत रायः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के अब तक मानद का दर्जा प्राप्त शिक्षा संस्थाओं का ब्यौरा/मानदंड क्या हैं तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है,
(ख) प्रत्येक मानद विश्वविद्यालय का नाम, इसकी स्थापना का उद्देश्य, अनुमोदन प्रदान किए जाने की तिथि और इन प्रत्येक उक्त मानद विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों के नाम क्या है,
(ग) क्या मानद विश्वविद्यालयों पर सरकार और यू.जी.सी. का नियंत्रण है;
(घ) सामान्य विश्वविद्यालयों और मानद विश्वविद्यालयों में मूलभूत अंतर क्या है;
(ङ) क्या सरकार/यू.पी.एस.सी. ने रोजगार के दृष्टिकोण से उन मानद विश्वविद्यालयों की शैक्षिक योग्यता को अनुमोदन प्रदान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या सरकार को ज्ञात है कि मानद विश्वविद्यालय आरक्षण की नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) से (ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अधिसूचना की तारीख और जिन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, उनके साथ-साथ सम विश्वविद्यालय संस्थानों का राज्य-वार विवरण **https://www.education.gov.in/parl_ques**

पर उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में, सम विश्वविद्यालय संस्थानों को यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इन विनियमों में सम विश्वविद्यालय संस्थानों के उद्देश्यों के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ): यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) में प्रावधान है कि "विश्वविद्यालय" से केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसी संस्था भी है जो, संबद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार आयोग से मान्यता प्राप्त है।

यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार, आयोग की सलाह पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकती है कि विश्वविद्यालय से भिन्न उच्च अध्ययन की कोई संस्था, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम विश्वविद्यालय समझी जाएगी, और ऐसी घोषणा किए जाने पर, इस अधिनियम के सभी उपबन्ध ऐसी संस्था को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह धारा 2 के खण्ड (च) के अर्थ में विश्वविद्यालय है।

(ड.): सम विश्वविद्यालय संस्थानों की शैक्षणिक योग्यताएं सरकारी रोजगार के लिए मान्य हैं।

(च): यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में प्रावधान है कि सम विश्वविद्यालय संस्थान, भारत के संविधान और उस समय प्रवृत्त संसद के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश और भर्ती में आरक्षण संबंधी नीति लागू करेगा और अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी जानकारी का प्रकटन करेगा।

****